सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक

जिला चिकित्सालय श्योपुर म.प्र.
Email Id:- csurgeonshemp@mp.nic.in

क्र / क्रय / 2021

श्योपुर दिनांक.......................

//वाहन टेण्डर सीमित निविदा//

जिला चिकित्सालय श्योपुर के सिविल सर्जन कार्यालय में किराये पर वाहन की आवश्यकता है। संबंधित व्यक्ति/फर्म निम्न शर्तो के अधीन अपनी दरे दिनांक 12/07/2021 दोपहर 01 बजे तक अद्योहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है।

1. वाहन नया एवं 03 वर्ष से कम अवधि का रजिस्ट्रेशन एवं अच्छी स्थिति में आधुनिक मॉडल का होना चाहिए।
2. वाहन का रजिस्ट्रेशन,रोड टेक्स,इन्सोरेंस,पॉलूशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है इसका व्यय वाहन मालिक द्वारा वहन किया जाएगा।
3. मेन्टेनेंस एवं ड्रायवर वाहन मालिक का होगा।
4. अनुबंध 01 वर्ष की अवधि का होगा तथा नवीन टेण्डर होने तक अनुबंध जारी रखना होगा तथा दोनो पक्षों की सहमति से अनुबंध आगे बढाया जा सकता है। अद्योहस्ताक्षकर्ता किसी भी समय बिना कोई भी कारण बताए अनुबंध को समाप्त कर सकता है।
5. निविदाकार को टेक्सी परमिट वाहन उपलब्ध कराना होगा। टेक्सी परमिट वाहन उपलब्ध ना कराने की स्थिति मे राशि 500/रू. प्रतिमाह की पेनल्टी लगाई जाएगी।
6. वाहन का इंजन न्युनतम 1.2 लीटर एवं 4 सिलेण्डर होना आवश्यक है। जैसेः– स्वीफ्ट डिजायर,आई–20, ईटीओज, अर्टिगो आदि।
7. वाहन डीजल अथवा पेट्रोल होना अनिवार्य है।
8. निविदाकार को जीएसटी बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
9. दरें भरते समय जीएसटी सहित सभी कर सहित दरें भरी जाए।
10. ईधन(पेट्रोल/डीजल) विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा। परन्तु प्रतिमाह वाहन चलाने की कोई अधिकतम कि.मी. सीमा नही होगी। वाहन की न्युनतम एवरेज 10 कि.मी. प्रति लीटर होना अनिवार्य हे। इससे कम एवरेज देने पर वाहन मालिक को अतिरिक्त ईधन(पेट्रोल/डीजल) का भुगतान करना होगा।
11. वाहन मे जीपीएस होना चाहिए।
12. स्वीकृत निविदाकार को निविदा स्वीकृति के 01 माह के भीतर वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. निविदा स्वीकृत होने के 01 सप्ताह के भीतर राशि 5000/रू. की धरोहर राशि के रूप में सचिव रोगी कल्याण समिति जिला चिकित्सालय श्योपुर के पक्ष में जमा करनी होगी। अन्यथा निविदा निरस्त करते हुए अन्य निविदाकार की निविदा स्वीकृत की जा सकेगी।
14. निविदा में दरे प्रतिमाह किराया राशि (समस्त करो एवं जीएसटी सहित) भरना होगा
15. वाहन खराब होने पर वाहन ठीक होने तक अन्य वाहन उपलब्ध कराना होगा।
16. निविदा लेटर हेड पर हस्तलिपि में अथवा कम्प्यूटराईज्ड टाईप करके प्रस्तुत की जा सकती है।

(डॉ. आर.बी. गोयल)
सिविल सर्जन
सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
जिला चिकित्सालय श्योपुर म.प्र.

Scanned with CamScanner